

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी लिखित परीक्षा-2009
परीक्षा दिनांक 16.01.2011 (रविवार)

विज्ञापित क्र. 464/20/2011/अनु-10

इन्दौर, दिनांक 11.08.2011

आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक 04/परीक्षा/2009/13.07.2009 आवेदन प्राप्त अंतिम तिथि 13.08.2009 परीक्षा आयोजन की सूचना दिनांक 20.09.2010, पाठ्यक्रम संशोधन की सूचना दिनांक 22.11.2010, संशोधित परीक्षा आयोजन की सूचना दिनांक 10.12.2010; योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी के अस्थायी-14 पदों हेतु सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी लिखित परीक्षा-2009 परीक्षा दिनांक 16.01.2011 (रविवार) को केवल इन्दौर स्थित परीक्षा केन्द्र पर तीन सत्रों में आयोजित की गई थी।

कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या अनारक्षित 01 (अस्थिबाधित विकलांग अपिर्वर्ग-01 सम्मिलित), अनुसूचित जाति 03, अनुसूचित जाति विकलांग-निरंक-, अनुसूचित जनजाति 03, अन्य पिछड़ा वर्ग 15, भूपू.सैनिक-निरंक- है। कुल 22 आवेदक लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों की सूची निम्नानुसार है-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION, INDORE

ASSISTANT DIRECTOR / DISTRICT STATISTICAL OFFICER WRITTEN EXAM - 2009
ADV. NO. 04/EXAM/2009/13-07-2009 DATED 13-08-2009
EXAM DATE - 16-01-2011 (SUNDAY)

RESULT DECLARED DATE: 11-08-2011


ROLL NO. WISE LIST OF ALL PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES FOR INTERVIEW

S.NO.	ROLL	NAME	REMARKS
1	1028	BAISH SATYA BHAN	
2	1058	BHURIYA SARITA	
3	1062	CHAURASIA BISHNU KUMAR	
4	1101	DR KACHHI NAVIN KUMAR	
5	1128	HUSNE ARA ANSARI	
6	1205	MEENA SUNIL KUMAR	
7	1227	NAGRADE KANCHAN	
8	1257	PATEL CHANDRA PRAKASH	
9	1261	PATEL RAVENDRA SINGH	
10	1263	PATEL SANTOSH	
11	1278	RAHANGDALE BALWANT SINGH	PH
12	1298	SAKWAR ARVIND	
13	1324	SINGH RAMASHANKAR	
14	1326	SIRSE OM PRAKASH	
15	1366	VASUNIYA BAHADUR SINGH	
16	1383	YADAV ARVIND SINGH	
17	1524	CHAURASIA MUKESH	
18	1894	PATIDAR BAL KRISHNA	
19	2179	AHIRWAR DHARUV KUMAR	
20	2304	JOHAIR TARINI	
21	2499	THAKUR NARENDRA SINGH	PROVISIONAL
22	2573	VISHWAKARMA JAYA	

2/08/2011
11.08.11

टीप:-

- (1) सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
- (2) सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी लिखित परीक्षा-2009 परीक्षा दिनांक 16/01/2011 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (पाँच प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अस्थिबाधित विकलांगता का प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों की (प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न कर दिनांक 02.09.2011 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, एवं उनकी अर्हता निरस्त हो जायेगी।
- (3) प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार दिनांक 30.09.2011 से आयोजित होंगे।
- (4) परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अस्थिबाधित विकलांगता का प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (5) आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।
- (6) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
- (7) प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचनाफलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चरपा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
- (8) लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।


(डॉ. श्रीकृष्ण शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक